प्रेस विज्ञप्ति

10.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्तियों को उनके वास्तविक स्वामियों और मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को लौटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में तथा उत्पादक संपत्तियों को उपयोग में लाने और वित्तीय संस्थानों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क या जब्त/सुरक्षित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक (बैंक धोखाधड़ी के पीड़ित) के साथ मिलकर एक ठोस प्रयास किया गया और मेहुल चोकसी मामले में संपत्तियों की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया।

बैंकों द्वारा दायर आवेदन (ईडी द्वारा समर्थित) के आधार पर, माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई ने मेहुल चोकसी मामले (पीएनबी धोखाधड़ी मामला) में प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई द्वारा कुर्क या जब्त की गई 2565.90 करोड़ रुपये की "संपत्तियों के मुद्रीकरण" की अनुमति दी। आदेश के अनुपालन में, संपत्तियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक(लिक्विडेटर) को सौंप दी गई हैं। सौंपी गई संपत्तियों में मुंबई में स्थित फ्लैट और एसईईपीजेड मुंबई में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं। शेष संपत्तियों की वापसी भी प्रगति पर है।

मेहुल चोकसी के मामले में पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि उसने 2014 से 2017 की अवधि के दौरान अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और धोखाधड़ी से पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) जारी करवाए, जिसके परिणामस्वरूप पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। उसने आईसीआईसीआई बैंक से भी ऋण लिया था और उस ऋण को भी नहीं चुकाया ।

जांच के दौरान, ईडी ने पूरे भारत में 136 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान/आभूषण जब्त किए गए। इसके अलावा, मेहुल चोकसी/गीतांजलि समूह की 1968.15 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियां जब्त की गईं, जिनमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, फैक्ट्री, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, आभूषण आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर, इस मामले में 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की गई और तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

पीड़ित बैंकों को संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी ने बैंकों के साथ मिलकर संपत्तियों के मुद्रीकरण(मोनेटाइजेशन) की दिशा में सक्रिय कदम उठाए। ईडी और बैंक एक साझा रुख अपनाने पर सहमत हुए और एक संयुक्त आवेदन (सहमति आवेदन) दाखिल करने के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई का रुख किया। माननीय न्यायालय ने संयुक्त आवेदन पर दिनांक 10.09.2024 को आदेश पारित किया, जिसमें आदेश दिया गया कि ईडी विभिन्न गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंकों, लिक्विडेटरों को कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने में मदद करेगा और उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद बिक्री की राशि पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में एफडी के रूप में जमा कराई जाएगी।

अब तक, 6 ऐसी संपत्तियां अर्थात खेनी टॉवर सांताक्रूज़, पूर्वी मुंबई में स्थित फ्लैट्स जिनकी सामूहिक कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है और 2 और संपत्तियां अर्थात (1) प्लॉट नंबर -61, सीपेज में भूमि और भवन और (2) प्लॉट नंबर -16, सीपेज में भूमि और भवन जिनकी सामूहिक कीमत 98.03 करोड़ रुपये है, को बहाल किया गया और मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक(लिक्विडेटर) को सौंप दिया गया। शेष संपत्तियां माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार परिसमापक/बैंकों को सौंपी जा रही हैं।